

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-1) विभाग

क्रमांक-प.1(22)गृह-1/2016

जयपुर, दिनांक : 29.09.2023

आज्ञा

राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बृजमोहन असवाल, सहायक कमाण्डेन्ट, 8वीं बटालियन, आरएसी, नई दिल्ली, जिनकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01/11/1990 है एवं जन्म-तिथि 12.02.1966 है, ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के तहत दिनांक 21.06.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30/09/2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 के अन्तर्गत श्री बृजमोहन असवाल, आरपीएस को दिनांक 30/09/2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बृजमोहन असवाल के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस